न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : राजेश कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 253 / 2022

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2022 / 373

प्रार्थी बनाम विप्रार्थी

प्रार्थी	विप्रार्थी
शोदान मीणा पुत्र पांचूराम जाति मीणा निवासी टोडामीना तहसील जमावा रामगढ जिला जयपुर हाल–सांमरा तहसील–पचपदरा व जिला बालोतरा	1.राजस्थान सरकार जरिए लवण विभाग पचपदरा 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 3.गवरी पत्नी कुम्भाराम जाति रबारी निवासी रबारियों की ढाणी,आकड़ली बक्सीराम तहसील पचपदरा 4.अविनाश कोठारी पुत्र ओमप्रकाश कोठारी निवासी पचपदरा सिटी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री लाधूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी

2.विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित

3.विप्रार्थी संख्या 1 व 3,4 एकपक्षीय

:आदेशः

दिनांक– 26·07·2024

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी शोदान मीणा पुत्र पांचूराम मीणा जाति मीणा निवासी टोडामीना तहसील जमावा रामगढ जिला जयपुर हाल–सांमरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 433 / 14 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टयर मौजा सांमरा तहसील प[illegible] कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी संख्या 1 की खसरा संख्या 28 [illegible] व विप्रार्थी संख्या 3 व 4 की खातेदारी खसरा संख्या 154 / 11 क्षेत्रफल [illegible] भूमि में से 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया [illegible]था संलग्न नक्शानुसार रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:09:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया है।

02. प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार पचपदरा ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल है। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र बाड़मेर द्वारा दिनांक 06.9.2022 को प्रार्थना पत्र पेश कर जवाब के लिए अवसर चाहा गया था। विप्रार्थी संख्या 01 को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किया गया तथा न ही उपस्थित हुए तथा विप्रार्थी संख्या 3 व 4 भी पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं हुए। इस कारण विप्रार्थी संख्या 01 व 3,4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई।

03. तत्पश्चात् प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 28 व खसरा संख्या 154/11 मौजा सांभरा में से प्रार्थी के खातेदारी खेत संख्या 433/14 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टयर तक बंरग लाल के चौड़ा रास्ता 30 फीट भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अतः तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थी को आपति नहीं है। प्रार्थी प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

04. विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से राज.पैरोकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी को रास्ता दिया जाता है,तो आपति नहीं है।

05. हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 28 व खसरा संख्या 154/11 भूमि में से 30 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से नायब तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :–

i. ग्राम सांभरा तहसील पचप[illegible] खसरा संख्या 43[illegible] जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अवस्थित में दर्ज है [illegible] रास्ता खसरा संख्या 154/11 रकबा 5.2852 हैक्टयर किस्म बा.सो. मे से 0.00[illegible] हैक्टयर व खसरा संख्या 28

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:09:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रकबा 33.2085 हैक्टयर मे से 0.1017 हैक्टयर प्रस्तावित किया गया तथा रास्ता निकटतम एवं उपयुक्त होना बताया गया।

ii. मौका–रिपोर्ट में खसरा संख्या 28 के बीचो बीच रास्ता प्रस्तावित किए जाने पर उक्त खसरान के दो टुकड़े होना व भविष्य में भूमि की उपयोगिता पर भी असर पड़ना संभावना को देखते हुए खसरान के सहारे–सहारे रास्ता दिए जाने के लिए रिपोर्ट भिजवाने हेतु नायब तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में नायब तहसीलदार पचपदरा द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई। उक्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी को पूर्व प्रस्तावित रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई। प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं होता बताया गया।

06. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

07. चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं नायब तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या [illegible] में आवागमन हेतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध [illegible] धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थी की आवश्यकता [illegible] प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थी द्वारा सिद्ध किया गया हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट टिप्पणी की गई है कि प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:09:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी को खसरा संख्या 28 व 154/11 मे से ही रास्ता दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है,क्योकि प्रस्तावित रास्ता की दूरी भी कम है तथा निकटतम व उपयुर्क्त है। इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 28 में से रास्ता नहीं दिए जाने की कोई विपरीत टिप्पणी नही की है और न ही राजहित के प्रभावित होने का उल्लेख किया है,उक्त विवेचन के आधार पर विप्रार्थी नायब तहसीलदार तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्शित रास्ता बरंग लाल अधिक उपयुक्त एवं व्यावहारिक प्रतीत होता हैं। विप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 4 बावजूद रजिस्ट्री नोटिस तामीली होने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इससे प्रतीत होता है कि विप्रार्थी को प्रार्थी के आवेदन स्वीकार किए जाने पर आपति नहीं है,क्योकि यदि आपति होती,तो उजर–एतराज पेश करते। लेकिन उन द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

08. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु राजकीय भूमि में से रास्ता उपलब्ध करवाना अधिक उपयुक्त है,अतः हम प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के लिए यहां राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैंः–

यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचन के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग का विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है,तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसे सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव हैं। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई। कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकार लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौड़ा नहीं होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलेखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में नायब तहसीलदार पचपदरा द्वारा खसरा संख्या 28 मे से प्रस्तावित रास्ता रकबा 0.1644 हैक्टयर (590 फीट) व खसरा संख्या 154/11 मे से रकबा 0.0056 हैक्टयर (20 फीट) कुल रकबा 0.1700 हैक्टयर कुल 610 फीट लम्बाई x चौड़ाई 30 फीट भूमि की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर–1,18,870/– रूपये प्रति बीघा के अनुसार देय राशि–1,50,340/– ... है,जिसकों प्रार्थी राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु ... अतः हम प्रार्थी ... पत्र स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:09:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश :-

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना -पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 433/14 में पहुंच हेतु खसरा संख्या 28 क्षेत्रफल 33.2085 हैक्टेयर में से 0.1644 हैक्टयर व खसरा संख्या 154/11 क्षेत्रफल 5.2852 हैक्टयर मे से 0.0056 हैक्टयर कुल क्षेत्रफल 0.1700 हैक्टयर नक्शानुसार परिशिष्ट अ बरंग लाल 30 फीट चौडाई व 610 फीट लम्बाई भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर-1,50,340/-(अक्षरे एक लाख पचास हजार तीन सौ चालीस) रूपयें की राशि राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाए जाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:09:50 IST
Reason: SelfAttested